भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 885
दिनांक 23.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

बिहार में जल जीवन मिशन

†885. **श्री राजा राम सिंहः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने बिहार के बाढ़ प्रवण जिलों में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्तमान में गैर-कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शनों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या बाढ़ के बाद क्षतिग्रस्त ग्रामीण पेयजल अवसंरचना को बहाल करने के लिए किसी विशेष पैकेज जो मंजूरी दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार को जारी गई कुल केंद्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) अवसंरचना निर्माण और मानवीय सहायता पर उपयोग की गई निधि का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग) पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन एवं अनुरक्षण की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की मदद करती है। अगस्त 2019 से, भारत सरकार, राज्यों की भागीदारी से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) की अवधि को संवर्धित परिव्यय के साथ दिसंबर 2028 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है, और जेजेएम 2.0 के तहत ग्रामीण पेयजल

आपूर्ति क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुनर्गठित कार्यान्वयन शामिल है।

विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ जेजेएम 2.0 के कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों को साझा किया है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि सूखे, बाढ़ और अन्य व्यवधानों के दौरान निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक योजना में एक आपातकालीन निरंतरता आयोजना शामिल होगी। इसके अलावा, बिहार के बाढ़ प्रवण जिलों में कार्यान्वयन सहित मिशन के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा बैठकों, क्षेत्र दौरों, वीडियो कॉन्फ्रेंस और जेजेएम-आईएमआईएस के जरिए निगरानी के माध्यम से नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

मिशन की शुरुआत में, बिहार राज्य में लगभग 3.16 लाख (1.89%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, जेजेएम-आईएमआईएस पर राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, लगभग 1.57 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 19.07.2026 तक, राज्य के 1.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 1.60 करोड़ (95.71%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। नल कनेक्शनों की जिला-वार स्थिति निम्नलिखित लिंक पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है:

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

(घ) और (ङ) बिहार में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त ग्रामीण पेयजल अवसंरचना के पुनरूद्धार के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा कोई विशेष पैकेज स्वीकृत नहीं किया गया है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बाढ़ प्रबंधन तथा मृदा कटावरोधी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और संवर्धनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। केन्द्र सरकार बाढ़ नियंत्रण, मृदा कटावरोधी, जल-निकासी विकास, समुद्री कटावरोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु ''बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)2'' कार्यान्वित कर रही है। पिछले पांच वर्षों के दौरान बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के तहत बिहार को कुल 295.728 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।
